"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467] रायपुर, शनिवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2017 —— कार्तिक 6, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

अधिसूचना
सं. 39/2017-राज्य कर (दर)

क्रमांक एफ-10- 86/2017/वाक/पांच(152). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (3) में वर्णित माल पर, जो उक्त तालिका के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पर नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन, राज्य के भीतर आपूर्ति पर, 2.5 प्रतिशत की राज्य कर की दर अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	अध्याय उपशीर्ष/शीर्ष/ टैरिफमद	माल का विवरण	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजार वर्गों को निशुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट	यदि खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं है या सबंधित राज्य सरकार में उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय सरकार या राज्य

(1)	(2)	(3)	(4)
		अभिधानों में रखी गई खाद्य निर्मितियां ।	सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख से पांच मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त के इस निमित्त अनुज्ञात करे, वितरित कर दी गई है।

स्पष्टीकरण –

(i) ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय'' से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टिकारक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्रमांक एफ-10- 86/2017/वाक/पांच(152) . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-86/2017/वाक/पांच(152), दिनांक 18-10-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 18th October 2017

NOTIFICATION
No. 39 /2017 – State Tax (Rate)

No. F-10- 86 /2017/CT/V (152). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the State tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject

to the condition specified in column (4) of the Table below, namely :-

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description of Goods	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	19 or 21	Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government.	When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the jurisdictional commissioner of the Central tax or jurisdictional commissioner of the State tax, as the case maybe, may allow in this regard.

Explanation. –

(1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975, including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification will be effective from the date of issue.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.